

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर

(कोलडिपो परिसर, पानीपेच झोटवाडा रोड, जयपुर-302016)

क्रमांक एफ()एफसीए/उवसंवर्जी /2025-26/6076

दिनांक:- 11/11/25

निमित्त:-

वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
बाघ परियोजना सरिस्का, अलवर।

विषय:- Diversion of 3.5568 ha. " Widening and Strengthening of Mahngi to Dudhli Mod Via Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Ganoli, Newal Maksudanpura, Chawandiya District-Jaipur (Rajasthan)"
(Proposal No.-FP/RJ/ROAD/151862/2022)

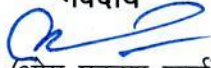
संदर्भ:- उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन, जयपुर का पत्रांक 7973-74 दिनांक 20.10.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में आप द्वारा अधिरोपित बिन्दुओं का प्रत्युत्तर निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र.स.	अधिरोपित बिन्दु	प्रत्युत्तर
1.	पालना अपूर्ण। जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा 3.4764 है० गैर वन भूमि आवंटित की गयी है जबकि प्रस्ताव में 3.5568 है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है। अवशेष भूमि का आवंटन प्रक्रियाधीन होना अवगत कराया गया है। अतः समतुल्य गैर वन भूमि के आरक्षित किये जाने पर ही प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रकरण में वन भूमि प्रत्यावर्तन 3.5568 है० के बदले ग्राम दांतली तहसील आंधी जिला जयपुर के खसरा नम्बर 319/128 में 3.4764 है० तथा ग्राम दयालपुरा तहसील पाली जिला पाली के खसरा नम्बर 892/97 में से 0.0804 है० गैर वन भूमि वन विभाग के नाम आवंटित की गई है। भूमि आवंटन के दस्तावेज पार्ट-I एवं पार्ट-II के अन्य दस्तावेजों में अपलोड कर दिये गये हैं।
2	पालना नहीं। यूजर एजेन्सी द्वारा वर्तमान सड़क के 1980 से पूर्व की बनी होने संबंधी कोई प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं।	यूजर एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण को नवीन सड़क निर्माण का प्रस्ताव माना है। यूजर एजेन्सी से प्राप्त प्रत्युत्तर संलग्न है।
3	पालना अपूर्ण। यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीव स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अवगत कराया गया है किन्तु पार्ट-I में अपडेट नहीं किया गया है।	प्रकरण में वन्यजीव स्वीकृति प्राप्त हो गई है। जिसकी प्रति संलग्न है।
4	पालना नहीं। उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट-II के बिन्दु संख्या 4 में वन घनत्व सही अंकित नहीं किया गया है।	पार्ट-II के बिन्दु संख्या 4 में वन घनत्व सही कर दिया गया है।
5	पालना नहीं। उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट-II के बिन्दु संख्या 5 में वन्यजीव प्रबंध योजना के प्रावधानों का विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	पार्ट-II के बिन्दु संख्या 5 में वन्यजीव प्रबंध योजना के प्रावधानों का विवरण संलग्न कर दिया गया है।

6	पालना नहीं। उप वन संरक्षक द्वारा एन. पी.वी गणना प्रमाण पत्र, प्रस्तावित वन भूमि का नोटिफिकेशन की प्रति, काटे जाने पेड़ों की स्थिति, गैर वन भूमि का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये गये है।	एन.पी.वी गणना प्रमाण पत्र, प्रस्तावित वन भूमि का नोटिफिकेशन की प्रति, काटे जाने पेड़ों की स्थिति, गैर वन भूमि का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
7	पालना नहीं। उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित वन भूमि के अभयारण्य क्षेत्र में पड़ने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।	प्रकरण में वन्यजीव स्वीकृति प्राप्त हो गई है। जिसकी प्रति संलग्न है।
8	पालना अपूर्ण। यूजर एजेन्सी द्वारा एलायमेंट में बदलाव नहीं किया गया है एवं अवगत कराया गया है की पूर्व में निर्मित सड़क का ही चौड़ाईकरण किया जावेगा। किन्तु उप वन संरक्षक द्वारा कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गयी है।	यूजर एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण को नवीन सड़क निर्माण का प्रस्ताव माना है। जमवारामगढ वन्यजीव अभयारण्य की भूमि में प्रस्तावित सड़क मार्ग की सम्पूर्ण चौड़ाई तथा लम्बाई का प्रत्यावर्तन यूजर एजेन्सी ने प्रस्तावित किया है। यूजर एजेन्सी से प्राप्त प्रत्युत्तर संलग्न है। जिससे यह कार्यालय सहमत हैं।
9	पालना नहीं। मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पार्ट-III संलग्न नहीं किया गया है।	—


भवदीय
 (ओम प्रकाश शर्मा)
 उप वन संरक्षक,
 वन्यजीव जयपुर